न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, पीलीभीत।

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0– 1015/2026

शेखर वर्मा पुत्र छेदा लाल निवासी मोहल्ला मोहम्मद वासिल, थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत।

.....अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०–154/2026
अं0 धारा– 64 व 351(3) बी0 एन 0 एस 0
पुलिस थाना– कोतवाली
जनपद– पीलीभीत।

दिनांकः 15.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त शेखर वर्मा पुत्र छेदा लाल निवासी मोहल्ला मोहम्मद वासिल, थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत की ओर से मुकदमा अपराध सं0–154/2026 अंतर्गत धारा 64 व 351(3) बी0 एन 0 एस 0 थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि– प्रार्थिनी मिथलेश कुमारी पत्नी स्व० विनय वर्मा पुत्री पूरनलाल मो० मोहम्मद वासिल जिला पीलीभीत की निवासी है। प्रार्थिनी विधवा है। प्रार्थिनी उपरोक्त पते पर रहती थी। प्रार्थिनी का जेठ शेखर वर्मा पुत्र छेदालाल भी एक ही मकान मे अलग–अलग हिस्से में रहते हैं । प्रार्थिनी के पति के मरने के बाद प्रार्थिनी के जेठ की नीयत मे बदनियती आ गई आये दिन प्रार्थिनी के साथ छेडछाड करता था और दिनांक 29.01.2026 को प्रार्थिनी को बदनियती से बुरा काम करने के उद्देश्य से पकड लिया प्रार्थिनी ने शोर मचाया, तो वह प्रार्थिनी को छोडकर भाग गया। प्रार्थिनी ने इसकी सूचना एस०डी०एम० महोदय पीलीभीत को दिनांक 30.01.2026 को दी और थाना को भी दी। प्रार्थिनी दिनांक 02.03.2026 को समय करीब 2 बजे दिन के प्रार्थिनी अपनी ससुराल मोहल्ला वासिल पीलीभीत गई तो उपरोक्त जेठ ने मेरे साथ बुरा काम किया और धमकी दी कि रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार दूंगा। प्रार्थिनी ने फोन करके अपनी विधवा माता बुलाया तो मेरे मकान के दरबाजे पर ताला लगाकर भाग गया, लोगों से कार्यवाही न करने के लिये ग्राम बंजरिया भेजता रहा। प्रार्थिनी ने डर के कारण अपने के साथ घटी घटना की रिपोर्ट अब तक नही लिखवाई।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि– उक्त केस में प्रार्थी को पारिवारिक सम्पत्ति की रंजिश के कारण झूठा फॉसा गया है। उक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक माह 21 दिन की देरी है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझकर कानूनी सलाह मशवरा से झूठी लिखाई गई है। कथित घटना दिनाँक 02.03.2026 की बताई गई, उस समय होली का त्यौहार था, प्रार्थी होली की खरीदारी करने दिन के 1:00 बजे से पहले मोटरसाईकिल से घर से निकला था और शाहजी मियाँ की मजार से होते हुए MLVN अस्पताल होते हुए विशाल मेघामार्ट पर 2.04 बजे दिन पहुँच गया और वहाँ 2.53 बजे तक सामान की खरीददारी की और सामान का भुगतान 2.53 बजे दिन पर दिनाँक 02.03.2026 को किया। प्रार्थी की मोबाईल लोकेशन संलग्नक 1 से 3 व रसीद संलग्नक 4 है इससे स्पष्ट है कि कथित घटना बिल्कुल झूठी है।

Digitally signed by SHIKHA PRADHAN
Date: 2026.07.15 16:39:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादिनी मिथलेश कुमारी से सम्पत्ति विवाद होने के कारण प्रार्थी ने वसीयत डिक्लेरेशन का वाद उक्त केस की वादिनी मिथलेश कुमारी के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी.डि.) पीलीभीत के यहाँ मूलवाद संख्या– 22/2026 शेखर वर्मा बनाम मिथलेश कुमारी दिनाँक 12.01.2026 को दायर किया जिसकी प्रमाणित नकल संलग्नक 5/1 से 5/8 तक है। इस केस की जानकारी वादिनी मिथलेश कुमारी को हो गयी । उक्त केस की वादिनी मिथलेश कुमारी व प्रार्थी के बीच जमीन के बँटबारे का विवाद होने के कारण पुलिस थाना कोतवाली ने शान्ति व्यवस्था भंग की सम्भावना होने के कारण धारा–126/135 BNSS के अन्तर्गत अपनी चालानी रिपोर्ट नगर मजिस्ट्रेट पीलीभीत के न्यायालय में प्रार्थी व वादिनी मिथलेश कुमारी के विरूद्ध दिनॉक 03.12.2025 को भेजी। जिसका संज्ञान लेते हुए नगर मजिस्ट्रेट पीलीभीत ने दिनाँक 14.01.2026 को प्रार्थी व उक्त केस की वादिनी मिथलेश कुमारी को नोटिस अन्तर्गत धारा–130BNSS जारी किया जो संलग्नक क्रमशः 6, 7 व 8 है। कथित पीड़िता/वादिनी मिथलेशकुमारी द्वारा उक्त घटना की आई०जी०आर०एस० में भेजा शिकायती प्रार्थना पत्र की पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के आदेश से पुलिस थाना कोतवाली ने जॉच की और जॉच के वाद घटना झूठी होना पाया पुलिस रिपोर्ट की फोटो कापी संलग्नक 9 है। जिसका हवाला केस डायरी के पर्चा 1 में है। कथित पीड़िता मिथलेश कुमारी की मेड़िकल रिपोर्ट में जोर जबरदस्ती या बलात्कार की कोई भी साक्ष्य नहीं है। उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि कथित पीड़िता/वादिनी मिथलेश कुमारी ने पारिवारिक सम्पत्ति के विवाद की रंजिश के कारण दवाव बनाने के लिए प्रार्थी के विरूद्ध उक्त झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। प्रार्थी के घर पर छोटे–छोटे बच्चे व पत्नी के आलावा कोई नहीं है जिनकी देखभाल व भरण पोषण करने वाला प्रार्थी के आलावा कोई नहीं है। प्रार्थी पूर्व सजायाफता नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय से निरस्त हो चुका है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद में प्रार्थी की जमानत का कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया है न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। याचना की गयी है कि न्यायहित में प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जावे।

अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया गया है कि अभियुक्त पर अपनी विधवा भाभी के साथ यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसे गंभीर एवं संगीन अपराध का आरोप है, जिसकी प्रथम दृष्टया पुष्टि पीड़िता के बयान एवं विवेचना से होती है। ऐसे अपराधों में जमानत अपवाद स्वरूप ही दी जानी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुई देरी का समुचित एवं स्वाभाविक कारण स्वयं पीड़िता ने बताया है कि अभियुक्त द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी एवं पारिवारिक दबाव के कारण वह तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकी।

मैंने अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

पीड़िता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवायी में आपत्ति करते हुये इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि उसे अभियुक्त ने दिनांक 29.01.2026 को बदनीयती से बुरा काम करने के उद्देश्य से पकड़ लिया और जब पीड़िता ने शोर मचाया तब उसे वह छोड़ कर भाग गया, जिसकी शिकायत उसने एस 0 डी0 एम 0 महोदय को दिनांक 30.01.2026 को दी थी और थाने को भी दी थी, जिस पर कोई कार्यवाही न होने पर उसने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया। उक्त प्रपत्रों की प्रतिलिपियां पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

पीड़िता द्वारा यह भी उल्लिखित किया है कि उसे दिनांक 02.03.2026 को समय करीब 02.00 बजे अपनी ससुराल मोहल्ला वासिल पीलीभीत गयी थी, तो जेठ ने उसके साथ बुरा काम किया और धमकी दी कि अगर रिपोर्ट लिखायी तो वह उसे जान से मार देगा।

अभियोजन द्वारा पीड़िता के 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान में घटना दिनांक 02.03.2026 समय 02.00 बजे की बतायी है, कि उसके जेठ ने उसके साथ गलत काम

किया जब वह चीखी चिलाई कोई नहीं आया। तब उसने मां को फोन करके बुलाया। इस साक्षी द्वारा अपने 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान में भी उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह भी उल्लिखित किया है कि उसकी शादी वर्ष 2021 में हुयी थी। उसके पति 2023 में बीमारी से खत्म हो गये थे। बच्चे नहीं हैं। उसके पति के दो भाई थे। जेठ का नाम शेखर वर्मा है, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। उसके सास–ससुर नहीं हैं। जेठ–जेठानी हैं और उनके बच्चे छोटे हैं। एक ही घर है, ससुराल में और वह अपने–अपने हिस्से में रहते हैं। जब से उसके पति गुजर गये थे, तब से जेठ उसे बुरी नजर से देखता है।

घटना वाले दिन जेठ ने उसके साथ उसकी बिना मर्जी के जबरदस्ती की और जेठ के हाथ में चाकू था और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।

पत्रावली पर उपलब्ध वादिनी मुकदमा का मेडिकल दिनांक 24.04.2026 को किया गया, जिसमें उसने उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख चिकित्सक के समक्ष किया है परंतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा लैंगिक उत्पीड़न संबंधी पूछताछ करने पर कम्प्यूटर में फॉर्म भरते समय सहवन गलती से जेठ शेखर वर्मा का नाम न लिखते हुए कोई अन्य व्यक्ति इमरान, फरमान, सलमान का नाम अंकित कर दिया है, जिस पर न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवायी पर दिनांक 25.06.2026 को मेडिकल चिकित्सक से स्पष्ट आख्या आहूत की गयी, जिस पर चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये इमरान, फरमान, सलमान का नाम टंकण त्रुटि से अंकित होना बताया तथा सही अभियुक्त का नाम शेखर वर्मा बताया। वादिनी मुकदमा के पति के देहांत के उपरांत पीड़िता द्वारा दिनांक 29.01.2026 को शेखर वर्मा द्वारा की गयी छेड़छाड़ की घटना तथा पुनः दिनांक 02.03.2026 को बलात्कार की घटना का उल्लेख किया है तथा साथ ही अभियुक्त द्वारा उसकी संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास किया गया है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मोबाइल लोकेशन, खरीदारी की रसीद एवं अन्य दस्तावेज बचाव का विषय हैं, जिनका परीक्षण विचारण (ट्रायल) के दौरान साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। जमानत के स्तर पर इनसे अभियुक्त को लाभ नहीं दिया जा सकता। संपत्ति विवाद अथवा दीवानी वाद लंबित होने मात्र से पीड़िता के आरोप स्वतः झूठे नहीं हो जाते।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत द्वारा दिनांक 22.05.2026 को निरस्त कर दिया गया है।

अतः अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, विवेचना में संकलित साक्ष्यों, आरोप पत्र प्रेषित होने तथा न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का मत है कि अभियुक्त जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त शेखर वर्मा उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाकः 15.07.2026

(शिखा प्रधान)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4,
पीलीभीत।